संख्या-589/2022/2518 /001-41-2022-175-Budget-2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ:: दिनांक 23 नवम्बर, 2022**

विषय :- उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की 22 परियोजनाओं पर कन्टीजेन्सी मद की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र संख्या-1528/6-1-1(कन्टीजेन्सी)/ ब्र0ती0वि0प0/2022, दिनांक 2 जून, 2022 एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा के पत्र संख्या-418/उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0/2022-23, दिनांक 27.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की 22 परियोजनाओं पर कन्टीजेन्सी मद की धनराशि स्वीकृति करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि निदेशालय से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या-232/2022/807 (1)/41-2022, दिनांक 31.03.2022 द्वारा 24 परियोजनाओं हेतु कन्टीजेन्सी सहित रू0 771.70 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशालय से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की प्रश्नगत 22 परियोजनाओं पर कन्टीजेन्सी मद की धनराशि रू0 153.70 लाख (रूपये एक करोड़ तिरपन लाख सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

4- प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों का भी अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 31.03.2022 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है। निदेशालय द्वारा निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र/निविदा लागत एवं उक्त के सापेक्ष व्यय-विवरण कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर 01 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराये एवं किसी भी दशा में परियोजना की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि का भुगतान न हो तथा यदि किसी भी परियोजना की मूल स्वीकृति से संबंधित निविदा लागत के क्रम में कार्यों/लागत में कोई विचलन किया गया है तो उसके संबंध में नियमानुसार पुनरीक्षण हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-2-2526/दस-सं0-बी-2-2526/दस-2014-10/77 दिनांक 26-8-14 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) प्रश्नगत प्रायोजना पर व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून 2022 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। उक्त के अतिरिक्त कार्यदायी संस्था व निदेशालय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनाओं पर स्वीकृत धनराशि का व्यय टेण्डर लागत से अधिक न हो।

(3) प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून 2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी।इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर - 212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

(8) प्रश्नगत परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया गया।

(10) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया गया। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत परियोजना की स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षारित कराये हुये (तिथि साहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 153.70 लाख (रूपये एक करोड़ तिरपन लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखाशीर्ष 545278010442 उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022**,** दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव::
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. उपाध्यक्ष**,** उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद**,** मथुरा।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी**,** उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद**,** मथुरा।
5. उपाध्यक्ष**,** मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण**,** उ0प्र0।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी**,** मथुरा।
7. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 5, 6 व 9 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. उप निदेशक**,** पर्यटन**,** आगरा।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।